श्री विपिन चंद्र वाडिलाल बवीशी (मृत) जरिये विधिक वारिसान एवं अन्य

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 7434/2012)

28 जनवरी, 2016

[एम. वाई इकबाल और सी. नागाप्पन, न्यायाधिपतिगण]

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976-धाराएं 8, 9 और 10-हस्तलिखित शुद्धि पत्र और कथित पंचनामा पर निर्भरता-हस्तलिखित शुद्धि पत्र और पंचनामें के आधार पर, क्या भमि राज्य में निहित थी- आदेश: अंक गणितिय गलती गणना में एक गलती है, जबकि लिपिकीय गलती लिखने या टाइप करने की गलती है, जो आकस्मिक चूक या लोप या लापरवाही से हुई गलती या लोप के कारण हुई त्रुटि के कारण होती है- धारा 10(1), (3) और (5) के अंतर्गत जारी वैधानिक अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित भूमि के स्थान पर अन्य भूमि को शुद्धि पत्र जारी कर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त प्रावधानों में निहित अनिवार्य आवश्यकताओं की पालना नहीं की गई हो- लिपिकीय या अंक गणितिय गलती को शुद्धि पत्र जारी कर ठीक करने की प्रार्थना के आधार पर भूमि धारक को उसकी भूमि से अलग नहीं किया जा सकता है- उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज किया जाता है- अपीलार्थीगण भूमि धारक प्लॉट संख्या 36 से 43 के भीतर शामिल भूमि पर कब्जा बनाये रखने के हकदार है क्योंकि यह राज्य में निहित नहीं है- शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

आदेशः 1.1 शहरी भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 (संक्षेप में सीलिंग अधिनियम) के अवलोकन से सीलिंग भूमि से अधिक भूमि घोषित करने से पहले धारा 8, 9 और 10 में निहित प्रावधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। धारा 8 प्राधिकरण को भूमि धारकों, को खाली भूमि का विवरण देते हुए एक मसौदा विवरण तैयार करने का अधिकार देते हैं और इस तरह का मसौदा विवरण भूमि धारकों को मसौदा विवरण पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए भेजा जाता है। स्वीकृत रूप से, मसौदा विवरण में, न तो भूखंड संख्या 36 से 43 के भीतर शामिल भूमि को अतिरिक्त भूमि के रूप में दर्शाया गया और न ही अपीलकर्ताओं से आपत्ति आमंत्रित की गई। अधिनियम की धारा 9 के तहत तैयार अंतिम विवरण में, फिर से प्लॉट नंबर 36 से 43 तक की भूमि को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि के रूप में नहीं दर्शाया गया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधिनियम की धारा 10(1) के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें प्लॉट संख्या 1 से 16 की भूमि को अपीलकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त खाली भूमि के रूप में दिखाया गया था। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 10(3) के तहत अधिसूचना जारी की, जिसे राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि भूखंड संख्या 1 से 16 तक की भूमि राज्य द्वारा अधिग्रहित माना जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि विचाराधीन भूमि सर्वे संख्या 71 प्लॉट संख्या 36 से 43 तक अधिनियम की धारा 10(1) और 10(3) के तहत जारी अधिसूचना के तहत भूमि नहीं थी, प्राधिकरण पर भूमि को कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 10(5) के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इस समय, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राज्य द्वारा यह दिखाने के लिए कोई नोटिस प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अपीलकर्ताओं को प्लॉट नंबरों 36 से 43 को समर्पण करने या कब्जा देने के लिए कहा गया था ना ही यह दिखाने के लिए कोई सबूत है कि अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 10(5) के तहत जारी किसी भी

नोटिस का पालन करने से कभी इन्कार किया या विफल रहे। [पैरा 21] [293-जी-एच; 294-ए-डी]

1.2 इन तथ्यों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि ना ही तो प्लॉट नंबर 36 से 43 के संबंध में धारा 10(1), 10(2), 10(3) और 10(5) के तहत अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और ना ही उन भूखंडों का कब्जा प्रतिवादियों द्वारा लिया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि दिनांक 26.06.1989 के पत्र के साथ संलग्न नक्शा भी दर्शाता है कि प्लॉट नंबर 1 से 16 तक कब्जा लिया गया ना कि प्लॉट नंबर 36 से 43 का. [पैरा 20] [293-एफ-जी]

1.3 प्रतिवादी राज्य के अनुसार प्लॉट नंबरों को सही करने वाला एक हस्तलिखित शुद्धिपत्र दिनांक 26.06.1989 जारी किया गया है, लेकिन दिनांक 18.08.2000 के पत्र से, यह स्पष्ट है कि उक्त हस्तलिखित शुद्धिपत्र को कभी भी प्रभावी नहीं किया गया था। उप सचिव, राजस्व विभाग द्वारा अपर कलेक्टर (शहरी भूमि सीमा के सक्षम अधिकारी), को जारी पत्र दिनांक 18.08.2000 में उल्लेख किया गया था कि सर्वे क्रमांक 71 के भूखण्ड संख्या 1 से 16 तक की भूमि को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और जब तक यह पता चला कि भूमिधारकों के कब्जे में प्लॉट नंबर 36 से 43 है तो उन भूखण्डों पर कब्ज़ा कर लिया गया। सक्षम अधिकारी ने आवश्यक शुद्धिपत्र प्रकाशित करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि शुद्धि पत्र जारी कर प्लॉट नंबर 36 से 43 तक दिखाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है। [पैरा 19] [293-सी-ई]

1.4 दस्तावेजों के अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रतिवादी राज्य साफ हाथों से नहीं आया है, जो रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र से स्पष्ट है। जवाबी शपथ पत्र के पैराग्राफ 13 में राज्य द्वारा यह कहा

गया था कि दिनांक 27.02.1986 के आदेश के अनुसार ग्राम नाना मौवा के भूखंड संख्या 1 से 16 में शामिल भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया। यह कहा गया है कि उक्त आदेश फॉर्म नंबर 1 के साथ प्रस्तुत दिनांक 06.09.1965 के दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए पारित किया गया था, जिसमें कुल भूखंडों की संख्या 1 से 16 तक दिखाई गई थी। हालांकि, यह कहा गया है कि शुद्धिपत्र दिनांक 26.06.1989 के द्वारा, प्लॉट संख्या 1 से 16 की बजाय अधिनियम की धारा 45 में निहित प्रावधानों की अनुपालना में प्लॉट संख्या 16 से 23 और 36 से 43 का लिया गया कब्जा प्रकाशित किया गया था और पंचों की उपस्थिति में प्लॉट संख्या 16 से 23 और 36 से 43 का कब्जा 26.06.1989 को लिया गया था। दिनांक 26.6.1989 के पंचनामे के अवलोकन से यह उल्लेखित है कि अपीलार्थियों को कब्जा सौंपने हेतु उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया था परन्तु अपीलार्थी कब्जा सौंपने हेतु उपस्थित नहीं हुए थे। इसलिए, दो पंचों की उपस्थिति में उसमें दिए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त भूमि का कब्ज़ा ले लिया गया। कब्जे में ली गई भूमि के विवरण में प्लॉट संख्या 16 से 19 को सीमा सहित दर्शाया गया है। यदि प्रतिवादी के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रतिवादी के अनुसार सब कुछ अर्थात शुद्धिपत्र तैयार करना, कब्जा सौंपने के लिए अपीलकर्ता को सूचना देना और अंततः कब्जा लेना एक ही तिथि यानी 26.06.1989 को किया गया है। यदि ऐसा है, तो निरसन अधिनियम लागू होने के बाद दिनांक 18.08.2000 के पत्र द्वारा शुद्धिपत्र को अधिसूचित करने के लिए प्रतिवादी के प्राधिकारी द्वारा मंजूरी क्यों मांगी गई थी। इसलिए, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि प्रतिवादी राज्य द्वारा बनाया गया मामला कि प्लॉट संख्या 36 से 43 का कब्जा दिनांक 26.06.1989 को लिया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। [पैरा 22] [294-ई-एच; 295-ए-बी]

1.5 प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री कपूर का यह तर्क कि धारा 10(1), 10(3) और 10(5) के तहत जारी अधिसूचना में प्लॉट नंबर 1 से 16 का उल्लेख एक लिपिकीय त्रुटि है जिस गलती को शुद्धिपत्र जारी करके सुधारा जा सकता है, कानून की दृष्टि से बिल्कुल स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। कैसे उन अधिसूचनाओं में प्लॉट नंबर 1 से 16 को प्लॉट नंबर 36 से 43 द्वारा हस्तलिखित शुद्धिपत्र जारी करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसे 1976 के अधिनियम के निरस्त होने के बाद अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित भी नहीं किया गया था। [पैरा 25] [297-डी]

1.6 अंक गणितीय गणना में की गई गलती गलती है, जबकि लिपिकीय गलती आकस्मिक चूक या चूक के कारण होने वाली लेखन या टाइपिंग त्रुटि या लापरवाह गलती या चूक के कारण होने वाली त्रुटि है हमारी सुविचारित राय में, धारा 10(1), 10(3) और 10(5) के तहत वैधानिक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की गई भूमि के स्थान पर अलग-अलग भूमि को प्रतिस्थापित करना एक शुद्धिपत्र जारी करके नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाएगा जब तक कि उपरोक्त धाराओं में निहित अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है। लिपिकीय या अंकगणितीय गलती जिसे शुद्धिपत्र जारी करके सुधारा जा सकता है, के आधार पर किसी भूमि धारक को उसकी भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता। [पैरा 26] [297-ई-एफ]

1.7 प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिका रेस ज्यूडीकेटा के द्वारा वर्जित होने से कानून चलने योग्य नहीं है। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता भूमिधारकों को विचाराधीन भूमि से बेदखल कर दिया गया था और इस पर निरसन अधिनियम का प्रभाव पहले की रिट याचिका में मुद्दा नहीं था और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रस्तुत रिट

याचिका रेस ज्यूडीकेटा अथवा कंसट्रक्टिव रेस ज्यूडीकेटा द्वारा वंचित है। [पैरा 27] [297-जी-एच]

1.8 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को खारिज किया जाता है। नतीजतन, यह माना जाता है कि अपीलकर्ता भूमिधारक गुजरात के राजकोट जिले के नाना मौवा गांव में प्लॉट संख्या 36 से 43, सर्वे नंबर 71 के भीतर शामिल भूमि पर कब्जा बनाए रखने के हकदार हैं। क्योंकि वह राज्य में निहित नहीं है। डिवीजन बेंच ने सहकारी समिति से संबंधित विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को सही ढंग से खारिज कर दिया है। [पैरा 28, 29] [298-ए-सी]

स्टेट आफ उत्तर प्रदेश बनाम हरि राम (2013) 4 एससीसी

280: 2013 (2) एससीआर 301; महेन्द्र लाल जैनी बनाम स्टेट

आफ यू.पी. और अन्य. एआईआर 1963 एससी 1019: 1963 सप्ली. एससीआर

912; स्टेट आफ केरला बनाम पी.जे. जोसफ एआईआर 1958 एससी 296:

शिव चंद्र मोरे और अन्य बनाम लेफ्टिनेंट गर्वनर और अन्य। (2014) 11 एससीसी 744:2014 (4) एससीआर 417- हवाला दिया गया।

<u>संदर्भित न्यायिक दृष्टांत</u>

2013 (2) एससीआर 301	हवाला दिया गया	पैरा 10
1963 सप्पली. एससीआर 912	हवाला दिया गया	पैरा 13
एआईआर 1958 एससी 296	हवाला दिया गया	पैरा 13
2014 (4) एससीआर 417	हवाला दिया गया	पैरा 16

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 7434/2012

उच्च न्यायालय, गुजरात की खंड पीठ के विशेष सिविल आवेदन संख्या 9856/2000 की अपील संख्या 740/2002 में दिनांक 26.03.2010 को पारित निर्णय व आदेश से।

उपस्थितिः-

1. सर्वश्री सी.ए. सुंदरम, शीरिष एच. संजनवाला, हारिन पी. रावल, हुजेफा अहमदी, शामिक संजनवाला, कैलाश पांडे, रंजित सिंह, जफर इनायत, रोहिनी मुसा, अभिषेक गुप्ता, रोहन शर्मा, (के.वी. श्रीकुमार के लिए), विद्वान अधिवक्तागण, अपीलार्थीगण की ओर से।

2. सर्वश्री आर.पी. भट्ट, प्रीतेश कपूर, जेसल वाही, हेमांतिका वाही, मोहित कुमार शाह, विद्वान अधिवक्तागण, उत्तरदाताओं की ओर से।

निर्णयः

न्यायालय का निर्णय **श्री एम.वाई. इकबाल, न्यायाधिपति** द्वारा दिया गया।

1. अपीलकर्ता गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 26.03.2010 के फैसले और आदेश से व्यथित हैं, जिसमें 2002 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 740 को खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के लाभ के हकदार नहीं हैं। और इस तरह अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले को बरकरार रखा गया।

2. प्रस्तुत मामले का तथ्यात्मक स्वरूप यह है कि अपीलकर्ता गुजरात राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित खाली भूमि के मालिक और भूमि धारक थे। जब अगस्त, 1976 में शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (संक्षेप में "अधिनियम, 1976") लागू हुआ तो अपीलकर्ताओं ने अधिनियम, 1976 की धारा 6 के तहत अपेक्षित

रिटर्न दाखिल किया और उक्त फार्म में अपीलकर्ताओं ने गुजरात के राजकोट जिले के गांव राजकोट, कोठारिया और नाना माउवा में स्थित भूमि की घोषणा की निर्दिष्ट प्रपत्र में की गई रिटर्न से यह पता चलता है कि अपीलकर्ताओं के पास राजकोट जिले के नाना मउवा गांव में प्लॉट नंबर 36 से 47 तक और राजकोट गांव में सर्वेक्षण नंबर 1, 2, 7 से 18 एवं 44 संख्या की भूमि अपीलकर्ताओं के पास है। अपीलकर्ता बिपिन चंद्र बभिषी (अपीलकर्ता नंबर 2) की पत्नी ने भी अलग से रिटर्न दाखिल किया।

3. प्राधिकरण द्वारा मसौदा विवरण तैयार किया गया था और धारा 9 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा प्लॉट नंबर 1 से 16 सीलिंग सीमा से अधिक भूमि कब्जे में होने का अंतिम विवरण जारी किया गया।

4. अधिनियम की धारा 10(1) के तहत दिनांक 24-03-1986 को अधिसूचना प्रकाशित कर अन्य भूमि के साथ अधिशेष भूमि को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि घोषित किया गया। प्रतिवादी का मामला यह है कि भूखंडों की संख्या और माप को 16 भूखंडों अथवा भूखंड संख्या 36 से 43 की बजाय प्लॉट संख्या 1 से 16 के रूप में वर्णित किया गया और क्षेत्रफल 4610 वर्ग मीटर की बजाय 9030.71 वर्गमीटर बताया गया था। इसके बाद 16-6-1986 को, धारा 10 (3) के तहत अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसमें प्लॉट संख्या 1 से 16 की भूमि का विवरण दिखाया गया जैसा कि अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत अधिसूचना में दिखाया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा शहरी भूमि अधिकरण के समक्ष 17-6-1986 को आदेश दिनांक 27-2-1986 जिसमें अन्य भूमि के साथ प्रश्नगत भूमि को अधिशेष भूमि घोषित किया गया था के विरुद्ध अपील संख्या राजकोट/41/86 दायर की। उक्त अपील में अधिनियम की धारा 10(3) के तहत जारी प्रकाशन के विरुद्ध अंतरिम स्थगन का आदेश दिया गया। हालाँकि, इससे पहले, यानी 16-6-1986 को, ऊपर बताये अनुसार अधिनियम की धारा 10(3) के तहत अधिसूचना पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। अपीलकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा

दायर की गई अपील को शहरी भूमि अधिकरण ने 20-12-1988 को खारिज कर दिया। हालाँकि, जहाँ तक विचाराधीन भूमि का संबंध है, अधिकरण ने अपीलकर्ताओं की अपील संख्या 41/1986 के निर्णय के पैरा संख्या 4 के माध्यम से माना कि प्रश्नगत भूमि में 4610 वर्गमीटर के नाप के अपील संख्या 36 से 43 को अपीलकर्ता के स्वामित्व की भूमि घोषित किया और यह भी अभिलिखित किया गया कि अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत घोषणा 16-06-1986 को जारी की गई थी।

5. इसके पश्चात दिनांक बाद 26-06-1989 को तथाकथित शुद्धिपत्र प्रश्नगत भूमि के प्लॉट संख्या के विवरण में हुई गलतियों को सुधारने के लिए जारी किया गया और उक्त आदेश के अनुसार, यह उल्लेख किया गया कि प्लॉट नंबरों को सही ढंग से 16 से 23 और 36 से 43 पढ़ा जाना चाहिए। प्रतिवादी अधिकारियों का यह मामला है कि 26-6-1989 को, प्रश्नगत भूमि के प्लॉट संख्या 16 से 23 और प्रश्नगत भूमि के प्लॉट संख्या 36 से 43 का कब्ज़ा ले लिया गया था और इस आशय का पंचनामा भी तैयार किया गया था। दिनांक 26-06-1989 के पंचनामे में यह भी उल्लेखित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के प्लॉट संख्या 16, 17, 23 एवं 24 पर मकानों का निर्माण कराया जा चुका है। शहरी भूमि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-2-1986 और शहरी भूमि अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-12-1988 के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अक्टूबर, 1989 में अपीलकर्ता ने स्पेशल सीए नंबर 3456/1989 दायर की उक्त स्पेशल सिविल याचिका में उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया और उभयपक्षों को उस दिन की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। उक्त याचिका उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई कर 19-07-1993 को खारिज की गई। अपीलकर्ता ने उक्त आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील दायर की, जो खारिज की गई।

6. 18 मार्च, 1999 को, शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 (संक्षेप में, "निरसन अधिनियम") लागू हुआ, जिसके द्वारा शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम निरस्त हो गया। सितंबर, 2000 में, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह घोषणा कराने के लिए एक याचिका दायर की कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पास प्रश्नगत भूमि का कब्ज़ा लेने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है और याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रश्नगत भूमि के सौदे या निपटारे पर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की। अपीलकर्ताओं को यह पता चला कि 2100 वर्ग मीटर नाप की प्रश्नगत भूमि को राज्य सरकार के दिनांक 12 सितंबर, 2000 के आदेशानुसार, एक श्रम दीप सहकारी समिति को आवंटित कर दिया गया है और इसलिए अपीलकर्ताओं ने भूमि के आवंटन के उक्त आदेश की वैधानिकता और वैधता को चुनौती दी।

7. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 12-09-2000 जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 समिति को आवंटित किया गया था के उक्त आदेश यह उल्लिखित करते हुए कि राज्य सरकार निरसन अधिनियम के पश्चात प्रश्नगत भूमि का बेचान करना कानूनी रूप से उचित नहीं था और चूंकि यह सावर्जनिक संपत्ति के बेचान के लिए निर्धारित माप दंडों का पालना किये बगैर बेचान की गई थी को खारिज कर रद्द कर दिया। इसमें अपीलकर्ताओं ने लेटर्स पेटेंट अपील दायर करके अपनी याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी। प्रतिवादी-सोसायटी ने भी उपरोक्त आवंटन को रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए लेटर्स पेटेंट दायर की।

8. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया और सोसायटी द्वारा दायर अपील को

स्वीकार कर लिया। डिवीजन बेंच ने विशेष सिविल आवेदन में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की, जहां तक यह अपीलकर्ता से संबंधित था और सहकारी समिति से संबंधित निष्कर्षों को खारिज करते हुए यह आदेश दिया:-

> "39. विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ग्राम कोठारिया में उनकी जमीन को वर्ष 1997 में राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बेचा गया था, जिस संबंध में उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इस प्रकार, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, उन्होंने यह समझ लिया है कि उनकी भूमि को अधिशेष घोषित किए जाने के बाद वह उचित रूप से राज्य सरकार में निहित हो गई है और राज्य सरकार को उसे बेचने का अधिकार है और इसलिए उस संबंध में किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है। यह याचिकाकर्ताओं की सहमति के समान है और हमें नहीं लगता कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ऐसा करने में गलती की थी।
>
> 40. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी देखा गया कि इस न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में महत्वपूर्ण प्रश्नों, जैसे कि शुद्धिपत्र, पंचनामा की तैयारी और अतिक्रमण के लिए उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में आवश्यक तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है, जो महत्वपूर्ण जानकारी को रोकने के समान है। और इससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आए थे और उनमें सद्भाविकता की कमी थी और इसलिए उस आधार पर भी विद्वान एकल न्यायाधीश का फैसला हमें अनुचित नहीं लगता है।

xxxxxxxxx

44. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ताओं की याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से खारिज कर दिया है। चूंकि याचिकाकर्ताओं की याचिका इस मामले के तथ्यों में सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ताओं से प्रतिवादी/अपीलकर्ता सहकारी समिति को अधिग्रहित भूमि के आवंटन के सवाल पर हमारे द्वारा विचार नहीं किया गया है क्योंकि यदि याचिका को यह माना जाता है कि यह सुनवाई योग्य नहीं है तो वह प्रश्न विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार किए जाने योग्य नहीं था क्योंकि ऐसा आवंटन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं आएगा। ऐसा जनहित याचिका में किया जा सकता था। किसी भी मामले में, सहकारी समिति को वर्ष 1991 में पैसा जमा करने के लिए कहा गया था और राज्य ने उसे तब तक जमीन आवंटित नहीं की थी जब तक कि इस न्यायालय ने निर्देश जारी नहीं किया था, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं के निवेदन पर उस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को हमने उचित नहीं माना है और इसलिए वे रद्द किए जाने योग्य हैं।

45. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर याचिका खारिज की जाती है। चूंकि हमने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर विशेष सिविल आवेदन को खारिज कर दिया है, इसलिए सहकारी सोसायटी के संबंध में निष्कर्षों को भी

खारिज कर दिया गया है। मामले को ध्यान में रखते हुए, सहकारी समिति की अपील स्वीकार की जाती है।"

9. अत: भूमिधारकों द्वारा विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

10. अपीलकर्ता-भूमिधारकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिन पी. रावल ने प्रस्तुतीकरण के बिंदु को संक्षिप्त में बताने से पहले तर्क दिया कि वर्तमान मामला **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरि राम,** (2013) 4 एससीसी 280 के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले से पूरी तरह से कवर होता है विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वर्तमान मामले में राज्य सरकार यह स्थापित करने में विफल रही है कि अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) के अंतर्गत कब्जे की स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के माध्यम से विधिक रूप से कब्जा लिया गया है अथवा धारा 10 की उपधारा (6) के तहत बलपूर्वक बेदखल करके कब्जा लिया गया।

11. श्री रावल ने यह कथन किया कि स्वीकृत रूप से भूमि सीमा न्यायाधिकरण द्वारा 17.06.1986 को यथास्थिति का आदेश दिया गया था। इसलिए, अधिसूचना कथित धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत जारी की गई है और की गई कोई भी कार्रवाई अमान्य होगी। नतीजन, धारा 10 (1), 10 (3) और धारा 10 (5) के तहत अधिसूचना और सर्वेक्षण संख्या 73, 74 और 71 के संबंध में उसमें उल्लिखित पंचनामा स्पष्ट रूप से खराब और अवैध हैं।

12. श्री रावल ने यह कथन किया कि अधिनियम की धारा 9 के तहत जारी दिनांक 27.02.1986 का अंतिम विवरण सर्वे क्रमांक 71 प्लॉट संख्या 1 से 16 से संबंधित है। इस प्रकार धारा 10(1), धारा 10(3) के तहत अधिसूचना भी प्लॉट संख्या 1 से 16 के संबंध में है, जबकि पंचनामा दिनांक 26.06.1989 ग्राम मठवा के सर्वे क्रमांक 71 के प्लॉट संख्या 16 से 23 और 36 से 43 का कब्जा प्राप्त करने के लिए तैयार

किया गया था। यह तथाकथित शुद्धिपत्र दिनांक 26.06.1989 पर आधारित था जिसमें यह दावा किया गया था कि प्लॉट संख्या को सही कर दिया गया है। स्वीकृत रूप से इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था और अपीलकर्ताओं को कभी इसकी जानकारी नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह कथित किया कि उक्त शुद्धिपत्र एक बनावटी दस्तावेज है जो कि पत्र दिनांक 18.8.2000 से बिल्कुल स्पष्ट है।

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने अंत में यह तर्क दिया कि राज्य सरकार का यह रुख कि शुद्धिपत्र को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक नहीं है, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 और इस न्यायालय के महेंद्र लाल जैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, एआईआर 1963 एससी 1019 और केरल राज्य बनाम पीजे जोसेफ, एआईआर 1958 एससी 296 के मद्देनजर कायम नहीं रखा जा सकता है।

14. प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रीतेश कपूर ने सर्वप्रथम यह तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को कंसट्रक्टिव रेस ज्यूडिकेटा के साथ साथ देरी और सहमति के आधार पर रिट याचिका को सही तरीके से खारिज किया। विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रस्तुत कार्यवाही में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्क रिट याचिका संख्या 3456/1989 के मुकदमे में पहले दौर में ही उठाने चाहिए थे और उठाये जा सकते थे। विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलकर्ता पूरी तरह से जानते थे कि राज्य द्वारा शुद्धिपत्र दिनांक 26.06.1989 के अनुसरण में, प्रश्नगत भूमि अर्थात् प्लॉट संख्या 36 से 43 का कब्ज़ा राज्य द्वारा लिया गया, जो कि पंचनामा और नोटिस दिनांक 23.10.1989 से स्पष्ट है। इसके अलावा, पिछले रिट याचिका में, अपीलकर्ताओं ने वास्तव में स्वीकार किया था कि सही प्लॉट नं. 36 से 43 को सरप्लस घोषित किया गया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इसलिए, अपीलकर्ताओं को शुद्धिपत्र के बारे में हमेशा से जानकारी थी।

15. श्री कपूर ने तब तर्क दिया कि मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, अपीलकर्ता उक्त शुद्धिपत्र को चुनौती देने के साथ-साथ प्लॉट नंबरों 36 से 43 का कब्जा भी ले सकते थे। यदि अपीलकर्ता के अनुसार विचाराधीन भूखंडों के संबंध में धारा 10(3) के तहत कोई वैध अधिसूचना नहीं है या शुद्धिपत्र को अधिसूचित करने की आवश्यकता थी।

16. 1999 के निरसन अधिनियम का हवाला देते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त निरसन अधिनियम अपीलकर्ताओं को कार्यवाही का कोई नया कारण नहीं देता है यदि वर्तमान कार्यवाही में राहत का आधार कुछ और नहीं बल्कि वह आधार है जो मुकदमेबाजी के पहले दौर में अपीलकर्ता को हमेशा उपलब्ध था। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने शिव चंदर मोरे और अन्य बनाम उपराज्यपाल एवं अन्य, (2014) 11 एससीसी 744 के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया।

17. कुछ अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीए सुंदरम ने शुरुआत में ही कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल अधिनियम की धारा 10(3) के तहत अधिसूचना द्वारा ही हटाया जा सकता है और अधिनियम की धारा 45 के तहत किसी आदेश द्वारा नहीं। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अदालत में आने का कारण निरसन अधिनियम, 1999 लागू होने के बाद ही उठा। विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान अधिनियम की योजना और उसमें दिए गए अधिदेश की ओर आकर्षित किया। अनिवार्य प्रावधान की पालना किए बिना भूमि धारकों को उनकी संपत्ति से बेदखल करना अमान्य है।

18. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय की सत्यता का निर्णय करने के लिए हम कुछ ऐसे तथ्यों का उल्लेख करना चाहेंगे जिन पर विवाद नहीं है।

(i) अपीलकर्ताओं भूमिधारकों द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत वैधानिक प्रपत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद, अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत अधिसूचना जारी

की गई थी जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक रखी गई खाली भूमि का विवरण दिया गया था। उक्त अधिसूचना में, प्लॉट नं. 1 से 16 तक को अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया। प्लॉट नंबर 36 से 43 का कोई जिक्र नहीं है।

(ii) 16.06.1986 को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 10(3) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें धारा 10(1) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट अतिरिक्त खाली भूमि को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित माना गया था उस धारा 10(3) की अधिसूचना में भी प्लॉट संख्या 36 से 43 की भूमि को निहित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(iii) हालाँकि भूमि सीलिंग ट्रिब्यूनल ने दिनांक 17.06.1986 के आदेश द्वारा धारा 10(3) अधिसूचना के प्रकाशन पर रोक लगाने और आगे की कार्यवाही नहीं करने की यथास्थिति प्रदान की थी, लेकिन यथास्थिति के बावजूद, फिर से धारा 10(3) अधिसूचना दिनांक 24.07.1986 का राजपत्र प्रकाशित की गई थी। जिसमें प्लॉट नंबर 1 से 16 तक को अतिरिक्त रिक्त भूमि दर्शाया जाकर अभिग्रहित किया जाना माना गया।

(iv) 26.06.1989 को कथित तौर पर एक हस्तलिखित शुद्धिपत्र तैयार किया गया था, लेकिन इसे कभी प्रभावी नहीं बनाया गया, जो 18.08.2000 के पत्र से स्पष्ट है हम इसके पश्चात दिनांक 18.08.2000 के उक्त पत्र पर चर्चा करेंगे।

19. जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या हस्तलिखित शुद्धिपत्र दिनांक 26.06.1989 और उसी दिनांक 26.06.1989 के कथित पंचनामे पर भरोसा किया जा सकता है और क्या उक्त शुद्धिपत्र और पंचनामे के आधार पर भूमि राज्य में निहित हो सकती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रतिवादी राज्य के अनुसार प्लॉट नंबरों को सही करने वाला एक हस्तलिखित शुद्धिपत्र दिनांक 26.06.1989 जारी किया गया है, लेकिन दिनांक 18.08.2000 के पत्र से, यह स्पष्ट है कि उक्त हस्तलिखित शुद्धिपत्र को कभी भी प्रभावी नहीं किया गया था। उप सचिव, राजस्व

विभाग द्वारा अपर कलेक्टर (शहरी भूमि सीमा के सक्षम अधिकारी), को जारी पत्र दिनांक 18.08.2000 में उल्लेख किया गया था कि सर्वे क्रमांक 71 के भूखण्ड संख्या 1 से 16 तक की भूमि को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और जब तक यह पता चला कि भूमिधारकों के कब्जे में प्लॉट नंबर 36 से 43 है तो उन भूखण्डों पर कब्ज़ा कर लिया गया। सक्षम अधिकारी ने आवश्यक शुद्धिपत्र प्रकाशित करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि शुद्धि पत्र जारी कर प्लॉट नंबर 36 से 43 तक दिखाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है।

20. इन तथ्यों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि ना ही तो प्लॉट नंबर 36 से 43 के संबंध में धारा 10(1), 10(2), 10(3) और 10(5) के तहत अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और ना ही उन भूखंडों का कब्जा प्रतिवादियों द्वारा लिया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि दिनांक 26.06.1989 के पत्र के साथ संलग्न नक्शा भी दर्शाता है कि प्लॉट नंबर 1 से 16 तक कब्जा लिया गया ना कि प्लॉट नंबर 36 से 43 का.

21. शहरी भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 (संक्षेप में सीलिंग अधिनियम) के अवलोकन से सीलिंग भूमि से अधिक भूमि घोषित करने से पहले धारा 8, 9 और 10 में निहित प्रावधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। धारा 8 प्राधिकरण को भूमि धारकों, को खाली भूमि का विवरण देते हुए एक मसौदा विवरण तैयार करने का अधिकार देते हैं और इस तरह का मसौदा विवरण भूमि धारकों को मसौदा विवरण पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए भेजा जाता है। स्वीकृत रूप से, मसौदा विवरण में, न तो भूखंड संख्या 36 से 43 के भीतर शामिल भूमि को अतिरिक्त भूमि के रूप में दर्शाया गया और न ही अपीलकर्ताओं से आपत्ति आमंत्रित की गई। अधिनियम की धारा 9 के तहत तैयार अंतिम विवरण में, फिर से प्लॉट नंबर 36 से 43 तक की भूमि को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि के रूप में नहीं दर्शाया गया था।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधिनियम की धारा 10(1) के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें प्लॉट संख्या 1 से 16 की भूमि को अपीलकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त खाली भूमि के रूप में दिखाया गया था। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 10(3) के तहत अधिसूचना जारी की, जिसे राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि भूखंड संख्या 1 से 16 तक की भूमि राज्य द्वारा अधिग्रहित माना जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि विचाराधीन भूमि सर्वे संख्या 71 प्लॉट संख्या 36 से 43 तक अधिनियम की धारा 10(1) और 10(3) के तहत जारी अधिसूचना के तहत भूमि नहीं थी, प्राधिकरण पर भूमि को कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 10(5) के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इस समय, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राज्य द्वारा यह दिखाने के लिए कोई नोटिस प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अपीलकर्ताओं को प्लॉट नंबरों 36 से 43 को समर्पण करने या कब्जा देने के लिए कहा गया था ना ही यह दिखाने के लिए कोई सबूत है कि अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 10(5) के तहत जारी किसी भी नोटिस का पालन करने से कभी इन्कार किया या विफल रहे।

22. दस्तावेजों के अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रतिवादी राज्य साफ हाथों से नहीं आया है, जो रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र से स्पष्ट है। जवाबी शपथ पत्र के पैराग्राफ 13 में राज्य द्वारा यह कहा गया था कि दिनांक 27.02.1986 के आदेश के अनुसार ग्राम नाना मौवा के भूखंड संख्या 1 से 16 में शामिल भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया। यह कहा गया है कि उक्त आदेश फॉर्म नंबर 1 के साथ प्रस्तुत दिनांक 06.09.1965 के दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए पारित किया गया था, जिसमें कुल भूखंडों की संख्या 1 से 16 तक दिखाई गई थी। हालांकि, यह कहा गया है कि शुद्धिपत्र दिनांक 26.06.1989 के द्वारा, प्लॉट संख्या 1 से 16 की बजाय अधिनियम की धारा 45 में निहित प्रावधानों की

अनुपालना में प्लॉट संख्या 16 से 23 और 36 से 43 का लिया गया कब्जा प्रकाशित किया गया था और पंचों की उपस्थिति में प्लॉट संख्या 16 से 23 और 36 से 43 का कब्जा 26.06.1989 को लिया गया था। दिनांक 26.6.1989 के पंचनामे के अवलोकन से यह उल्लेखित है कि अपीलार्थियों को कब्जा सौंपने हेतु उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया था परन्तु अपीलार्थी कब्जा सौंपने हेतु उपस्थित नहीं हुए थे। इसलिए, दो पंचों की उपस्थिति में उसमें दिए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त भूमि का कब्ज़ा ले लिया गया। कब्जे में ली गई भूमि के विवरण में प्लॉट संख्या 16 से 19 को सीमा सहित दर्शाया गया है। यदि प्रतिवादी के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रतिवादी के अनुसार सब कुछ अर्थात शुद्धिपत्र तैयार करना, कब्जा सौंपने के लिए अपीलकर्ता को सूचना देना और अंततः कब्जा लेना एक ही तिथि यानी 26.06.1989 को किया गया है। यदि ऐसा है, तो निरसन अधिनियम लागू होने के बाद दिनांक 18.08.2000 के पत्र द्वारा शुद्धिपत्र को अधिसूचित करने के लिए प्रतिवादी के प्राधिकारी द्वारा मंजूरी क्यों मांगी गई थी। इसलिए, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि प्रतिवादी राज्य द्वारा बनाया गया मामला कि प्लॉट संख्या 36 से 43 का कब्जा दिनांक 26.06.1989 को लिया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

23. इसी तरह का एक प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरि राम, 2013 (4) एससीसी 280 के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। इस मामले में, एक प्रश्न उठा था कि क्या अधिनियम की धारा 10(3) के तहत अधिशेष भूमि को निहित मानना शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 4 के तहत बचत खंड के लाभ से भूमिधारकों को वास्तविक कब्जे से वंचित करना होगा सीलिंग अधिनियम जिसे सीलिंग अधिनियम और निरसन अधिनियम के विस्तृत प्रावधानों की जांच करने के बाद, न्यायालय ने कहाः-

"35. यदि धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत दो डीमिंग प्रावधानों द्वारा राज्य सरकार को वास्तविक कब्ज़ा पहले ही दे दिया गया है, तो उप-धारा (5) के तहत "जहां कोई भूमि निहित है" अभिव्यक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत कब्जे का समर्पण या हस्तांतरण स्वैच्छिक हो सकता है ताकि व्यक्ति को अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदान किया गया मुआवजा जल्दी मिल सके। एक बार जब कोई स्वैच्छिक समर्पण या कब्ज़ा नहीं दिया जाता है, तो अनिवार्य रूप से राज्य सरकार को कब्जा सौंपने या देने के लिए धारा 10 की उपधारा (5) के तहत लिखित रूप में नोटिस जारी करना होगा। धारा 10 की उपधारा (5) शांतिपूर्वक समर्पण करने और कब्ज़ा देने की स्थिति की कल्पना करती है, जबकि धारा 10 की उपधारा (6) बलपूर्वक बेदखली की स्थिति पर विचार करती है।

बलपूर्वक बेदखली

36. अधिनियम बलपूर्वक बेदखल करने का प्रावधान करता है, लेकिन केवल तब जब कोई व्यक्ति धारा की उप-धारा (5) के तहत आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है। 10. धारा 10 की उप-धारा (6) फिर से "कब्जे" की बात करती है, जो कहती है, यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (5) के तहत दिए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी खाली भूमि पर कब्जा कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार को कब्जा देने के लिए खाली भूमि पर कब्जा कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए-जितना आवश्यक हो-बल का

प्रयोग किया जा सकता है। उप-धारा (6) इसलिए, किसी व्यक्ति द्वारा उप-धारा (5) के तहत आदेश का पालन करने से इनकार करने या विफल होने की स्थिति पर विचार करती है, जिस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी बल का उपयोग करके कब्ज़ा कर सकता है। इसलिए, भूमि की जबरन बेदखली का सहारा केवल उसी स्थिति में लिया जा रहा है जो धारा 10 की उपधारा (6) के अंतर्गत आती है, न कि उपधारा (5) के अंतर्गत उप-धारा (5) और (6), इसलिए, दोनों स्थितियों का ध्यान रखती हैं यानी नोटिस देकर कब्ज़ा लेना, यानी, "शांतिपूर्ण बेदखली" और धारा 10(5) के तहत समर्पण करने या कब्जे की डिलीवरी देने में विफलता पर, फिर धारा 10 की उपधारा (6) के तहत "बलपूर्वक बेदखली"।

37. धारा 10 की उपधारा (5) एवं (6) के अंतर्गत नोटिस देना अनिवार्य है। हालाँकि इसमें "हो सकता है" शब्द का उपयोग किया गया है, दोनों उप-धाराओं में "हो सकता है" शब्द को "करेगा" के रूप में समझा जाना चाहिए क्योंकि कानून को लागू करने के कार्य के लिए जिम्मेदार अदालत को आवश्यकता को लागू करने में विफलता से पालन करने के विधायिका के इरादे के अनुसार परिणाम तय करने की आवश्यकता होती है। धारा 11 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत नोटिस जारी न करने का प्रभाव यह है कि इसके परिणामस्वरूप भूमिधारक को बिना नोटिस के बेदखल किया जा सकता है, इसलिए, "हो सकता है" शब्द को "करेगा" शब्द के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।"

24. बेंच ने आगे निरसन अधिनियम के प्रभाव पर विचार किया और कहा कि:-

"41. आइए अब अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) पर 1999 के निरसन अधिनियम 15 की धारा 3 के प्रभाव की जांच करें। निरसन अधिनियम, 1999 ने 1976 के अधिनियम 33 को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया है निरसन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों को इस निर्णय के पहले भाग में पहले ही संदर्भित किया जा चुका है हालाँकि, निरसन अधिनियम ने एक बचत खंड बरकरार रखा है। किसी क़ानून के निरस्त होने से पहले उसके तहत कोई अधिकार अर्जित किया गया है या दायित्व वहन किया गया है, यह प्रश्न प्रत्येक मामले में क़ानून के अर्थ और विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

42. धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत भूमि को निहित करने मात्र से राज्य सरकार को खाली भूमि पर वास्तविक कब्ज़ा करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा, जब तक कि 18.03.1999 से पहले खाली भूमि का स्वैच्छिक समर्पण न किया गया हो। राज्य को यह स्थापित करना होगा कि खाली भूमि का स्वैच्छिक समर्पण किया गया है या धारा 10 की उपधारा (5) के तहत शांतिपूर्ण कब्जे का समर्पण और वितरण किया गया है या धारा 10 की उपधारा (6) के तहत बलपूर्वक बेदखली की गई है। इनमें से किसी भी स्थिति को स्थापित करने में विफलता पर भूमि मालिक या धारक निरसन अधिनियम की धारा 4 के लाभ पर दावा कर सकता है। इस अपील में राज्य सरकार से कोई भी स्थिति स्थापित नहीं कर सकी और इसलिए उच्च न्यायालय का यह मानना सही है कि प्रतिवादी निरसन अधिनियम की धारा 4 का लाभ पाने का हकदार है।

43. इसलिए, हमें उच्च न्यायालय के फैसले में कोई खामी नहीं मिली और तदनुसार, अपील को अन्य अपीलों की तरह खारिज कर दिया जाता है। राज्य द्वारा यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है कि निरसन अधिनियम के लागू होने से पहले उत्तरदाताओं को बेदखल कर दिया गया था और इसलिए, उत्तरदाताओं निरसन अधिनियम की धारा 4 का लाभ पाने के हकदार हैं हालाँकि, खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

25. प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री कपूर का यह तर्क कि धारा 10(1), 10(3) और 10(5) के तहत जारी अधिसूचना में प्लॉट नंबर 1 से 16 का उल्लेख एक लिपिकीय त्रुटि है जिस गलती को शुद्धिपत्र जारी करके सुधारा जा सकता है, कानून की दृष्टि से बिल्कुल स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। कैसे उन अधिसूचनाओं में प्लॉट नंबर 1 से 16 को प्लॉट नंबर 36 से 43 द्वारा हस्तलिखित शुद्धिपत्र जारी करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसे 1976 के अधिनियम के निरस्त होने के बाद अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित भी नहीं किया गया था।

26. अंक गणितीय गणना में की गई गलती गलती है, जबकि लिपिकीय गलती आकस्मिक चूक या चूक के कारण होने वाली लेखन या टाइपिंग त्रुटि या लापरवाह गलती या चूक के कारण होने वाली त्रुटि है हमारी सुविचारित राय में, धारा 10(1), 10(3) और 10(5) के तहत वैधानिक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की गई भूमि के स्थान पर अलग-अलग भूमि को प्रतिस्थापित करना एक शुद्धिपत्र जारी करके नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाएगा जब तक कि उपरोक्त धाराओं में निहित अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है। लिपिकीय या अंकगणितीय गलती

जिसे शुद्धिपत्र जारी करके सुधारा जा सकता है, के आधार पर किसी भूमि धारक को उसकी भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता।

27. प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिका रेस ज्यूडिकेटा के द्वारा वर्जित होने से कानून चलने योग्य नहीं है। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता भूमिधारकों को विचाराधीन भूमि से बेदखल कर दिया गया था और इस पर निरसन अधिनियम का प्रभाव पहले की रिट याचिका में मुद्दा नहीं था और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रस्तुत रिट याचिका रेसज्यूडिकेटा अथवा कंसट्रक्टिव रेस ज्यूडिकेटा द्वारा वंचित है।

28. उपरोक्त कारणों से यह अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को खारिज किया जाता है। नतीजतन, यह माना जाता है कि अपीलकर्ता भूमिधारक गुजरात के राजकोट जिले के नाना मौवा गांव में प्लॉट संख्या 36 से 43, सर्वे नंबर 71 के भीतर शामिल भूमि पर कब्जा बनाए रखने के हकदार हैं। क्योंकि वह राज्य में निहित नहीं है।

29. अब तक प्रतिवादी संख्या 3 - सहकारी समिति द्वारा दिए गए तर्क के संबंध में, हमने उनके मामले की जांच की है और पाया है कि डिवीजन बेंच ने सहकारी समिति से संबंधित विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

निधि जैन अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती प्रतिभा मोट्यार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।